बिल का सारांश

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) बिल, 2026

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) बिल, 2026 को 24 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट, 1971 में संशोधन करना है। यह कानून राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान के अपमान के लिए सज़ा का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय गीत का अपमान:** यह कानून निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगाता है: (i) राष्ट्रगान (*जन गण मन*) के गायन को जानबूझकर रोकना. या (ii) राष्ट्रगान गाने वाली सभा में रुकावट पैदा करना। ऐसे अपराधों के लिए तीन वर्ष के कारावास, जुर्माने या दोनों सज़ा का प्रावधान है। दूसरी बार या उसके बाद जितनी बार भी अपराध साबित होगा, कम से कम एक वर्ष का कारावास होगा। यह बिल इन प्रावधानों को राष्ट्रीय गीत (*वंदे मातरम*) पर भी लागू करता है।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

डेविस जोसफ
davis@prsindia.org

24 जुलाई, 2026